भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग/ MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE
कार्यालय प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) जोधपुर
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS (PREVENTIVE): JODHPUR
मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर – 302005
HQRS.: N.C.R. BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR-302005
(TECHNICAL CELL) (तकनीकी शाखा)
सत्यमेव जयते

DIN-20250475NJ00006115E3

सार्वजनिक सूचना संख्या – 07/2025

विषय: आईसीडी धानक्या, जयपुर [INDNK6] में आयात और निर्यात के लिए भारतीय कस्टम्स ईडीआई सिस्टम (ICES 1.5) का शुभारंभ और संचालन प्रारंभ के संबंध में

Subject: Launch of Indian Customs EDI System (ICES 1.5) for Import and Export and Commencing of operations at ICD Dhanakya, Jaipur, [INDNK6] - Regarding

आयातकों, निर्यातकों, कस्टम ब्रोकरों एवं व्यापार संघों का ध्यान सीबीआईसी अधिसूचना संख्या 12/97-कस्टम्स (एनटी) दिनांक 02.04.1997, जिसे अधिसूचना संख्या 83/2024-कस्टम्स (एनटी) दिनांक 21.11.2024 द्वारा संशोधित किया गया है, की ओर आकर्षित किया जाता है। इस अधिसूचना के तहत, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7(1)(aa) के अंतर्गत धानक्या, जयपुर को आयातित वस्तुओं की उतराई और निर्यात वस्तुओं की लदाई के लिए एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

Kind attention of Importers, Exporters, Customs Brokers & Trade Associations is invited to CBIC Notification No. 12/97-Cus (NT) dated 02.04.97 as amended by the Notification No. 83/2024-Customs (N.T.) dated 21.11.2024 issued under Section 7(1)(aa) of the Customs Act, 1962, wherein, interalia, Dhanakya, Jaipur was appointed as Inland Container Depot for the purpose of unloading of Imported goods and loading of Export goods.

2. प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क, जोधपुर (मुख्यालय जयपुर) द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 16/2024 दिनांक 06.12.2024 और संशोधन दिनांक 12.12.2024 के तहत सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 8 के अंतर्गत आईसीडी धानक्या, जयपुर को आयात माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई के लिए अनुमोदित किया गया है तथा आईसीडी के सीमाशुल्क क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई है।

The Principal Commissioner of Customs, Jodhpur (Hqrs. at Jaipur) vide Public Notice No. 16/2024 dated 06.12.2024 read with corrigendum dated 12.12.2024 issued

under Section 8 of the Customs Act, 1962 has approved the ICD at Dhanakya, Jaipur, as a place for unloading of Imported goods and loading of Exported goods and specified the limits of the Customs area of the ICD.

3. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45(1) के तहत दिनांक 21.02.2025 को जारी सार्वजनिक सूचना संख्या 04/2025 के माध्यम से, प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क, जोधपुर (मुख्यालय जयपुर) ने मेसर्स हिंद टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड को आईसीडी धानक्या, जयपुर में प्राप्त आयातित माल, जब तक कि वे घरेलू उपभोग के लिए क्लीयर न हो जाएं, या गोदाम में रखे न जाएं, या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय VII और VIII के प्रावधानों के अनुसार ट्रांसशिप न हो जाएं, और निर्यात कार्गो जो उक्त आईसीडी में परीक्षण और भराई के लिए लाया जाता है, उनके निर्यात तक, के कस्टोडियन के रूप में नियुक्त किया है।

The Principal Commissioner of Customs, Jodhpur (Hqrs. at Jaipur) vide Public Notice No. 04/2025 dated 21.02.2025 issued under Section 45(1) of the Customs Act, 1962 has appointed M/s. Hind Terminals Pvt. Ltd. as "Custodian" of the imported goods received at the ICD Dhanakya, Jaipur, until these are cleared for home consumption, or are warehoused, or are transshipped in accordance with the provisions of Chapter VII and VIII of the Customs Act, 1962, and of the export cargo brought into the said ICD for examination and stuffing, till their exportation.

4. सीबीआईसी, न्यू दिल्ली के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा दिनांक 24.02.2025 को एफ. नं. Pr. CCA/CBIC/Revenue-Coord/2(1)/Jaipur/vol-II/2024-25/-196 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसएमएस हाईवे शाखा (बीएसआर कोड: 0031032) को आईसीडी धानक्या, जयपुर के संबंध में कस्टम्स ड्यूटी संग्रह और ईडीआई सिस्टम के अंतर्गत ड्यूटी ड्रॉबैक/रिफंड के भुगतान के लिए अधिकृत करने की स्वीकृति दी गई है।

The Principal Chief Controller of Accounts, CBIC, New Delhi vide office Memorandum issued under F. No. Pr. CCA/CBIC/Revenue-Coord/2(1)/Jaipur/vol-II/2024-25/-196 dated 24.02.2025 has conveyed the approval for authorization of State Bank of India, SMS Highway Branch (BSR Code: 0031032) for collection of Customs duty and for payment of duty drawback/refund under EDI System in respect of ICD Dhanakya, Jaipur.

5. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स, केजेडयू द्वारा दिनांक 26.12.2024 को उनके पत्र संख्या DGSYS/APP/ICEG/SW/3/2022 के माध्यम से आईसीडी धानक्या, जयपुर को निम्नलिखित के अनुसार लोकेशन कोड आवंटित किया गया है:

क्र.सं.	स्थान का नाम	स्थान का पता	प्रस्तावित लोकोड	राज्य
1	आईसीडी धानक्या, जयपुर	हिंद टर्मिनस प्राइवेट लिमिटेड, आईसीडी धानक्या, धानक्या रेलवे स्टेशन के निकट, नंदगांव, जयपुर, राजस्थान-302012	IN DNK 6	राजस्थान

The Directorate General of Systems, KZU vide their letter F. No. DGSYS/APP/ICEG/SW/3/2022 dated 26.12.2024 has allocated the Location Code to ICD Dhanakya, Jaipur as under:

SR. NO.	Location Name	Location Address	Proposed LOCODE	State
1	ICD, Dhanakya	Hind Terminus Private Limited, ICD, Dhanakya, Near Dhanakya Railway Station, Nandgaon, Jaipur, Rajasthan-302012	IN DNK 6	Rajasthan

6. इसके अतिरिक्त, ईडीआई कनेक्टिविटी के पूर्व-उत्पादन परीक्षण 18.03.2025 को अधिकारियों की टीम द्वारा संचालित किए गए और रिपोर्ट 04.04.2025 को प्रस्तुत की गई। पूर्व-उत्पादन परीक्षण की सफल समाप्ति की उक्त रिपोर्ट डीजी सिस्टम्स, सीबीआईसी, न्यू दिल्ली को संप्रेषित की गई है।

Further, the pre-production trials for EDI connectivity were conducted on 18.03.2025 by the team of officers and the report was submitted on 04.04.2025. The said report of successful completion of pre-production trials has been communicated to the DG Systems, CBIC, New Delhi.

7. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय कस्टम्स ईडीआई (इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज) सिस्टम (ICES 1.5) के तहत एंट्री के बिल और शिपिंग बिल के कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग की शुरुआत 15.04.2025 से आईसीडी धानक्या, धानक्या रेलवे स्टेशन के निकट, नंदगांव, जयपुर, राजस्थान-302012 में की जाएगी।

Accordingly, it has been decided that the computerized processing of Bills of Entry and Shipping Bills under the Indian Customs EDI (Electronic Data Interchange) System, (ICES 1.5) will commence w.e.f. 15.04.2025 at ICD, Dhanakya, Near Dhanakya Railway Station, Nandgaon, Jaipur, Rajasthan-302012.

8. जबकि, मेसर्स हिंद टर्मिनस प्राइवेट लिमिटेड, आईसीडी धानक्या, धानक्या रेलवे स्टेशन के निकट, नंदगांव, जयपुर, राजस्थान-302012, कस्टम्स कार्गो सेवा प्रदाता ने कस्टम्स एक्ट, 1962 और हैंडलिंग ऑफ कार्गो इन कस्टम्स एरिया रेगुलेशन, 2009 के प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, अतः HCCAR, 2009 के विनियमन 8 के प्रावधानों के अनुसार, मैं, सुग्रीव मीना, प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क, जोधपुर (मुख्यालय जयपुर) मेसर्स हिंद टर्मिनस प्राइवेट लिमिटेड को उक्त आईसीडी में प्रभावी तिथि 16.04.2025 से संचालन शुरू करने की अनुमति प्रदान करता हूँ।

Whereas, M/s Hind Terminus Private Limited, ICD, Dhanakya, Near Dhanakya Railway Station, Nandgaon, Jaipur, Rajasthan-302012, the Customs Cargo Service Provider, has fulfilled the requirements of the Customs Act, 1962 as well as the provisions of Handling of Cargo in Customs Area Regulation, 2009, therefore, in terms of the provisions under regulation 8 of the HCCAR, 2009, I, Sugrive Meena, Principal Commissioner of Customs, Jodhpur (Hqrs. at Jaipur), hereby permit M/s Hind Terminus Private Limited, the Customs Cargo Service Provider at ICD, Dhanakya, Jaipur to commence the operations in the said ICD w.e.f. 16.04.2025.

9. आयातक या निर्यातक या उनके कस्टम्स ब्रोकर किसी भी आयात या निर्यात क्लीयरेंस के किसी भी चरण में उत्पन्न समस्याओं के निवारण के लिए सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क से संपर्क कर सकते हैं। हेल्पडेस्क सुविधाओं के संबंध में, निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाए।

The Assistant / Deputy Commissioner of Customs may be approached by the Importers or Exporters or their Customs Brokers for re- dressal of any problems faced at any stage of the Import or Export clearances. Regarding Helpdesk facilities, the following by be noted.

10. आइसगेट उपयोगकर्ता 011-23379020 और 011-23370133 या icegatehelpdesk@icegate.gov.in पर हेल्पडेस्क से संपर्क करते रहेंगे।

ICEGATE users would continue to interact with the Helpdesk at 011-23379020 and 011-23370133 or icegatehelpdesk@icegate.gov.in

11. नए आवेदन के संबंध में किसी अन्य स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर उपयोगकर्ता टोल-फ्री हेल्पडेस्क नंबर 18002662232 या Saksham.seva@icegate.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।

User requiring any other clarifications regarding the new application may interact with the Toll Free Helpdesk No. 18002662232 or at Saksham.seva@icegate.gov.in.

12. सभी आयातकों/निर्यातकों/कस्टम्स ब्रोकरों/व्यापार संघों से अनुरोध है कि इस सुविधा परिपत्र की सामग्री को अपने सदस्यों/संस्थाओं के बीच व्यापार और उद्योग के लाभ के लिए प्रसारित करें।

All the Importers / Exporters/Customs Brokers/ Trade Associations are requested to bring the contents of this Facility Circular among their members/constituents for the benefit of trade and industry.

Signed by
Sugrive Meena
Date: 09-04-2025 16:45:34

(सुग्रीव मीना)
प्रधान आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क, दिल्ली निवारक क्षेत्र, दिल्ली
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सी.जी.एस.टी., जयपुर जोन
3. महानिदेशक (सिस्टम), सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय, सीबीआईसी, चौथा और पांचवां तल, सम्राट होटल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021।

4. अपर महानिदेशक (सिस्टम), सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय, सीबीआईसी, चौथा और पांचवां तल, सम्राट होटल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021।
5. संयुक्त सचिव (सीमाशुल्क), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
6. पीएओ, सीबीआईसी, जयपुर।
7. जोधपुर (निवारक) सीमाशुल्क आयुक्तालय के सभी अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त।
8. महासचिव, राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राजस्थान चैंबर भवन, एम.आई. रोड, जयपुर
9. अध्यक्ष, राजस्थान कस्टम हाउस एजेंट एसोसिएशन, एफएफ-3, तिरुपति ट्रेड सेंटर, 4 संसार चंद्र रोड, जयपुर
10. सभी पीटीएफसी/व्यापार संघ।
11. जोधपुर सीमाशुल्क वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए अधीक्षक प्रणाली।
12. उप/सहायक आयुक्त सीमाशुल्क, आईसीडी, धानक्या, जयपुर
13. मेसर्स हिंद टर्मिनस प्राइवेट लिमिटेड, आईसीडी धानक्या, धानक्या रेलवे स्टेशन के निकट, नंदगांव, जयपुर, राजस्थान-302012
14. नोटिस बोर्ड